न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 31/2022

(1). काली पुत्री हरलाल पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी भीलडिया–खीण्या जिला बून्दी(राज0)।
(2). दुर्गा पुत्री हरलाल पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी भीलडिया–खीण्या जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

(1). शीशपाल पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भौजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(2). सेवा पिता प्रताप जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(3). लक्ष्मण पिता प्रताप जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0) मृतक के बजाय–
  3/1. उदयलाल पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
  3/2. नरेन्द्र पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
  3/3. मनोज पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(4). उप पंजीयक हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(5). तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली
प्रकरण संख्या 69/दावा/2019 निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.09.2021

उपस्थित वक्त बहस–(1). धीरेन्द्र मालव– अधिवक्ता अपीलांट
(2). चन्द्रशेखर शर्मा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1, 2, 3/1, 3/2

(2) पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट 4,5

निर्णय **दिनांक 16.01.2023**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा भोजगढ़ तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 311 मे दर्ज आराजी संख्या 2333 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 2334 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 2335 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 2336 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 2343 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 2344 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 2345 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 2346 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 2410 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 2411 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 2412 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 2414 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 2415 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 2416 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 2430 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 2431 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 2432 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 2433 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 18 कुल रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण अपीलांटगण का 1/3 हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादीगण अपीलांटगण व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तथा अपने–अपने हक हिस्से अनुसार वादीगण अपीलांटगण व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण अपीलांटगण व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के मध्य सीमा संबंधी विवाद बना रहता है जिस कारण वादीगण अपीलांटगण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा करवाकर स्वयं के निहित हक हिस्से को पृथक रूप से राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी मे दर्ज करवाना चाहते है। अन्त मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा वादीगण अपीलांटगण के हक हिस्से अनुसार किया जाकर वादीगण अपीलांटगण की खातेदारी मे पृथक रूप से राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे वादीगण अपीलांटगण की सयुंक्त खातेदारी की उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के किसी भी हिस्से को दीगर को हस्तांतरित नहीं करे साथ ही वादीगण अपीलांटगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी न तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावें।

2. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 3 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होना बताकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की गई। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी नियत की गई। दिनांक 13.08.2021 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 नियत की गई। दिनांक 19.08.2021 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 01.09.2021 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

3. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.09.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे म्यांद बाहर प्रस्तुत की है।

4. अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1, 2, 3/1, 3/2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण सख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा।अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. अपीलांटगण वादीगण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

6. न्यायहित मे अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद सुनवाई की जाती है।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह अंकन किया है कि अपीलांटगण वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के रेकॉर्डेड खातेदार है लेकिन उनके द्वारा अपनी आराजीयात को दिनांक 13.05.2019 को जरिये पंजीकृत बक्षीशनामे से हस्तांतरित किये जाने से उक्त पंजीकृत बक्षीशनामे को निरस्त कराये बिना राजस्व न्यायालय से कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांटगण वादीगण के निरक्षर होने का नाजायज फायदा उठाते हुए कपट पूर्वक करवाये गए बक्षीशनामे को निरस्त करवाने हेतु माननीय सिविल न्यायालय हिण्डोली मे वाद प्रस्तुत किया है जो वाद संख्या 41/21 के रूप मे दर्ज होकर विचाराधीन है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानो के तहत खारिज किये जाने मे कानूनी त्रुटि की है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि जिस तथाकथित बक्षीशनामे को सही मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया है उक्त बक्षीशनामे के सही अथवा गलत होने के संबंध मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिये बिना ही वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण वादीगण की ओर से सहखातेदारी की आराजीयात के बंटवारे का वादपत्र प्रस्तुत किया, अपीलांटगण वादीगण विवादित कृषि आराजीयात के सहखातेदार है जिन्हे अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकार होने के बावजूद केवल फर्जी बक्षीशनामे को सही मानकर वादीगण अपीलांटगण का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किये जाने निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिपूर्वक नहीं होकर निरस्त योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य प्राप्त

की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों की अवहेलना की जाकर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2012(1) पेज 1056, 2019(1)सी.जे. (सिविल)(एस.सी.), आर.आर.टी. 2013(1) पेज 356 एच.सी., आर.आर.टी. 2014–15 सुप्रीम कोर्ट पेज 446 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.09.2021 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 3 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय अन्य आक्षेप व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को वादीगण अपीलांटगण द्वारा दिनांक 13.05.2019 को स्वेच्छा से जरिये पंजीकृत बक्षीशनामा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शीशपाल को हस्तांतरित कर कब्जा सम्भला देने से वादीगण अपीलांटगण का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे हक अधिकार समाप्त हो जाने के बावजूद प्रतिवादीगण को जानबूझकर अकारण परेशान करने के उद्वेश्य से गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त पंजीकृत बक्षीशनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त निरस्त करवाये बिना बंटवारे का वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार वादीगण अपीलांटगण को प्राप्त नहीं है साथ ही वादीगण अपीलांटगण विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज काश्त नहीं होने से किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा की ईमदाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पाने के अधिकारी नहीं है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी नियत की गई। दिनांक 13.08.2021 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 नियत की गई। दिनांक 19.08.2021 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण अपीलांटगण द्वारा निष्पादित उक्त पंजीकृत बक्षीशनामे को निरस्त करवाये बिना वादीगण अपीलांटगण राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होना मानते हुए दिनांक 01.09.2021 प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे.(एस.सी.)2003(1) पेज 107, आर.आर.डी. 2009 पेज 750, आर.आर.टी. 2020(1) पेज 271, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 500 प्रस्तुत किये। अन्त मे अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.09.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता

दीवानी प्रस्तुत किया साथ ही उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के पंजीकृत बक्षीशनामे की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। उक्त बक्षीशनामे मे वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण अपीलांटगण द्वारा पंजीकृत बक्षीशनामे से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी को हस्तांतरित कर कब्जा संभलाया जाना अंकित है। उक्त दस्तावेज एक महत्वपूर्ण पंजीकृत दस्तावेज है जिसमे सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे से वादीगण अपीलांटगण के हिस्से 1/3 की सम्पूर्ण आराजी अपने भाई शीशपाल(रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी) के पक्ष मे हस्तांतरित कर कब्जा दे दिये जाने का उल्लेख है। प्रश्नगत पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 13.05.2019 का है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे वाद दिनांक 30.05.2019 को संस्थित किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करते समय वादी को यह तथ्य संज्ञान मे था, परन्तु वाद मे उसने इसका कथन नहीं किया। उक्त दस्तावेज के तथ्य को जानबूझकर छिपाते हुये, अपीलांटगण वादीगण ने विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया है जिससे वादीगण अपीलांटगण का स्वच्छ हस्त से नहीं आना प्रकट होता है। उक्त पंजीकृत बक्षीशनामे के निरस्तीकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है, जिससे उक्त पंजीकृत बक्षीशनामे को निरस्त कराये बिना अपीलांटगण वादीगण विवादित आराजीयात के संबंध मे किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलांटगण ने स्वयं अपनी अपील के बिन्दु संख्या 3 मे कथन किया है कि अपीलांटगण ने पंजीकृत बक्षीशनामे को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय हिण्डोली मे वाद पेश कर रखा है। उक्त कथन से स्पष्ट है अपीलांटगण ने पंजीकृत बख्शीशनामे को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय हिण्डोली मे कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इससे यह प्रतीत होता है कि स्वयं अपीलांट विवादास्पद पंजीकृत दस्तावेज को शून्यकरणीय मानते है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण वादीगण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 31/2022

(1). काली पुत्री हरलाल पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी भीलडिया–खीण्या जिला बून्दी(राज0)।
(2). दुर्गा पुत्री हरलाल पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी भीलडिया–खीण्या जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

(1). शीशपाल पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भौजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(2). सेवा पिता प्रताप जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(3). लक्ष्मण पिता प्रताप जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0) मृतक के बजाय–
  3/1. उदयलाल पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
  3/2. नरेन्द्र पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
  3/3. मनोज पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(4). उप पंजीयक हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(5). तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

बनाराजगी निर्णय दिनांक 01.09.2021 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 69/2019

(1). काली पुत्री हरलाल पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी भीलडिया–खीण्या जिला बून्दी(राज0)।

(2). दुर्गा पुत्री हरलाल पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी भीलडिया–खीण्या जिला बून्दी(राज0)।

—वादीगण

बनाम

(1). शीशपाल पिता लक्ष्मण जाति मीणा निवासी भौजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(2). सेवा पिता प्रताप जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(3). लक्ष्मण पिता प्रताप जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(4). उप पंजीयक हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(5). तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 16.01.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री धीरेन्द्र मालव, एवं रेस्पोडेन्ट कम 1, 2, 3/1 से 3/3 की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रशेखर शर्मा, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा